

मेरठ

विकास

प्राधिकरण,

मेरठ।

पत्रांक: 2605/ई0ई/18-19,

दिनांक : 10-07-18,

आवश्यक सूचना

पाण्डवनगर योजना के पाकेट-डी में स्थित दुर्बल आय वर्ग भवनों में रह रहे व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि ये भवन जीर्ण-शीर्ण स्थिति में हैं तथा किसी भी समय स्वतः ध्वस्त हो सकते हैं। इन भवनों को खाली कराने हेतु प्राधिकरण के कर्मचारियों/अधिकारियों द्वारा गत एक माह से सूचित किया जा रहा है। भवनों के स्वतः ध्वस्त होने से होने वाली जान-माल की हानि के आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।



सचिव, 9/7/18

मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।